**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 16/2018 (राजसमन्द डिकी)

मांगीलाल पिता जेता जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स जयभवानी ग्रेनाइट देवतलाई केलवा, जरिये प्रोपराइटर श्री पवन कुमार देवड़ा पिता नेनालाल जी देवड़ा, निवासी देवतलाई केलवा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
2. चन्दनसिंह खरवड पिता जोरसिंह जी खरवड राजपूत, निवासी रोद का गुडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोतीलाल पिता जेता जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़ हाल निवासी ग्राउण्ड फ्लोर रूम नंबर 1, मानसी रेडीमेन्ट के बाजू रामनगर, वेजलपोर, धमडाची, तहसील व जिला बलसाड़ (गुजरात)
4. रूकमणी पिता जेता जी पत्नी वजेराम जी गुर्जर, निवासी निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, हाल निवासी छापरिया की भागल, टाडावाडा, निवासी तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नारू पत्नी जेता जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़ हाल निवासी मकान नंबर 499, रामनगर वेजलपोर, धमडाची, तहसील व जिला बलसाड़ (गुजरात)
6. भारू पिता रामा जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 17/2018 (राजसमन्द डिको)

मांगीलाल पिता जेता जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मैसर्स जयभवानी ग्रेनाइट देवतलाई केलवा, जरिये प्रोपराइटर श्री पवन कुमार देवड़ा पिता नेनालाल जी देवड़ा, निवासी देवतलाई केलवा, तहसील व राजसमन्द (राज.)
2. चन्दनसिंह खरवड पिता जोरसिंह जी खरवड राजपूत, निवासी रोद का गुडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोतीलाल पिता जेता जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़ हाल निवासी ग्राउण्ड फ्लोर रूम नंबर 1, मानसी रेडीमेन्ट के बाजू रामनगर, वेजलपोर, धमडाची, तहसील व जिला बलसाड़ (गुजरात)
4. रूकमणी पिता जेता जी पत्नी वजेराम जी गुर्जर, निवासी निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, हाल निवासी छापरिया की भागल, टाडावाडा, निवासी तहसील गढ़बोर, जिला राजसमन्द (राज.)
5. नारू पत्नी जेता जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़ हाल निवासी मकान नंबर 499, रामनगर वेजलपोर, धमडाची, तहसील व जिला बलसाड़ (गुजरात)
6. भारू पिता रामा जी गुर्जर, निवासी माहसिंह जी का खेड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द।

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलं अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
प.सं. 32/17 प्रा॰डिकी दि.03.01.18
व अंतिम डिकी दिनांक 07.02.18

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री शेषमल गायरी अभिभाषक रे. सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

25—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव महासिंह

जी का खेड़ा में वादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 329 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 387/306 अर्थात 15 बीघा 6 बिस्वा 18 बिस्वांसी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 387/64 अर्थात 3 बीघा 4 बिस्वा 5 बिस्वांसी एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 387/16 अर्थात 16 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा पक्षकारान इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। वादी को उक्त भूमि रहन रखने, ऋण लेने, लगान भरने आदि में काफी कठिनाई आती है। अतएवं उपरोक्तानुसार उक्त भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग खाता खोला जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहों किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03–01–2018 से वादी का वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 17/2018 इस न्यायालय में दिनांक 03–04–2018 को प्रस्तुत की गयी।

अपील के साथ मयाद कण्डोन का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–01–18 का कोई ज्ञान नहीं था तथा वह हर पेशी पर आता था, दिनांक 06–12–2017 को उसे दिनांक 14–12–2017 की पेशी दी गयी तथा दिनांक 14–12–2017 को नोटिस बोर्ड पर 22–01–2018 की पेशी चस्पा की गयी। दिनांक 22–01–2018 को 08–03–2018 की पेशी दी गयी, परन्तु निर्णय दिनांक 03–01–2018 को कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

उक्त आवेदन पर मनन किया तो पाया कि दिनांक 06–12–2017 को दिनांक 22–01–2018 की पेशी दी गयी, जबकि वादी के आवेदन पर निर्णय दिनांक 03–01–2018 को कर दिया गया, जिसकी अपीलान्ट/प्रतिवादी को जानकारी होने की कोई साक्ष्य

नहीं है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 07–02–2018 को प्रकरण में व अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 16/2018 इस न्यायालय में दिनांक 03–04–2018 को अन्दर अवधि प्रस्तुत की गयी है।

अपीलं दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री शेषमल गायरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान होकर दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 32/2017 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अतएवं दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है यहां तक कि उनकी प्रोपर तामिल कराये बिना ही पत्रावली बीच में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया है तथा विभाजन में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। बंटवारा सूची तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गयी है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही मिलीभगत के आधार पर की गयी है। अतएवं अपील स्वीकार की अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजोरें आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258, आर.आर. टी. 2011–12 (Supp.) पेज 698, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689,

आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 777, आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (1) पेज 131 एवं डी.एन.जे. 2016 (1) पेज 432 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री के निर्णय को सही बताया तथा दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जहां तक प्रकरण संख्या 17/2018 का प्रश्न है, जो प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में दिनांक 06–12–2017 को पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 14–12–2017 को नियत की गयी। इसके पश्चात दिनांक 06–12–2017 को ही न्यायालय की छाप लगी होकर पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने का अंकन करते हुए पत्रावली दिनांक 22–01–2018 को नियत की गयी, परन्तु इसके स्थान पर उसके पूर्व ही दिनांक 03–01–2018 को वादी के आवेदन का अंकन कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गयी, जिसकी किसी प्रकार की सूचना प्रतिवादी/अपोलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में पारित निर्णय दिनांक 03–01–2018 प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 16/2018 का प्रश्न है, प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया है वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर भी नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

उपरोक्तानुसार उक्त दोनों अपीलं अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–01–2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07–02–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे तत्पश्चात् स्वयं तहसीलदार मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें एवं अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवाड़े पर यदि पक्षकारान की किसी प्रकार की आपत्तियां हैं तो उन आपत्तियों का निर्धारण करते हुए विधि के आलोक में अंतिम डिक्री पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–06–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

सुरन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....राजमसन्द..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... .....2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।